HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal) No.2200/2025
In
S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 325/2025

Kamlesh S/o Ishwarlal, Aged About 22 Years, Residence Of Mandawali Police Station Nimbaheda Distt. Chittorgarh (Raj) (Appellant Is In Distt. Jail Baran)

----Appellant

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 854/2025
In
S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 1073/2025

Deepak Son Of Nathulal, Aged About 24 Years, Resident Of Dhoriya Police Station Nimbhera Sadar District Chittorgarh (Rajasthan) (Accused Appellant Is Confine Din District Jail Baran)

----Appellant

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Ali Mohammed Khan Ms. Swati Sharma for Mr. Girish Khandelwal
For Respondent(s)	:	Mr. Jaiprakash Tiwari, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

26/02/2026

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण कमलेश एवं दीपक की ओर से धारा 430 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत, विचारण न्यायालय–**विशिष्ट न्यायाधीश, एन0डी0पी0एस0 मामलात, बारां** द्वारा सैशन प्रकरण संख्या–**57/2022, सरकार बनाम दीपक व अन्य** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **21.01.2025** के विरूद्ध उक्त दोनों पृथक–पृथक सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गए है, जिसके द्वारा अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम दस वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। दोनों सजा स्थगन प्रार्थना पत्र एक ही निर्णय/दण्डादेश से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण का संयुक्ततः एवं पृथक रूप से यह तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है, उनका यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है तथा अपीलार्थीगण दिनांक 18.02.2021 से लगातार अभिरक्षा में है, तथा उनकी अभिरक्षात्मक अवधि लगभग पांच वर्ष से अधिक की हो चुकी है। उनका यह भी तर्क है कि गवाहान के कथनों में विरोधाभास है, प्रकरण में एन0डी0पी0एस0 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, प्रस्तुत अपील में अपीलार्थीगण/अभियुक्तक्तगण के दोषमुक्त होने बाबत् पर्याप्त आधार एवं सुदृढ साक्ष्य विद्यमान हैं।

दौराने बहस उनका यह भी तर्क रहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने **सौदान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, मनोहर लाल ऐनानी बनाम राजस्थान राज्य और अन्य** के मामलों में लंबी हिरासत के कारण जमानत देने की अवधारणा पर विचार किया था, **मनोहर लाल (सुप्रा)** के मामले में आरोपी को जमानत देने के लिए

पांच साल से अधिक की हिरासत अवधि को पर्याप्त माना गया था, प्रस्तुत अपील के शीघ्र निस्तारण की सम्भावना क्षीण है, अतः प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध कर कथन किया कि अपराध की प्रकृति गंभीर है, अतः प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने की प्रार्थना की।

हमने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया। प्रकरण के तथ्यों, एवं सम्पूर्ण परिस्थितियों, अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए ये दोनों सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत ये दोनों सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/–रूपए **(अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए **(अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वे इस न्यायालय में दिनांक **27.03.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उन्हें आदेशित किया जावे, उपस्थित होते रहेंगे, तो अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण **1. कमलेश पुत्र श्री ईश्वर लाल एवं 2. दीपक पुत्र श्री नाथूलाल** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का कियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI /88-89